न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

(128)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

रु. 20/-

R

R - 3517-III/14

671
22.9.14

रामप्रसाद पाण्डेय तनय रामप्रकाश पाण्डेय उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्राम–पिड़रिया, थाना–शाहपुर, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा म0प्र0

——आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

1– अवधशरण तनय मेवालाल

2– राधिका प्रसाद तनय मेवालाल

3– रमाशंकर तनय जगजीवन प्रसाद

4– रामनिवास तनय लालमणि ब्रा0

सभी निवासी ग्राम–पिड़रिया, थाना–शाहपुर, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा म0प्र0

5– शासन म0प्र0

——— अनावेदकगण/गैरपुनरीक्षणकर्तागण

श्री पुष्पराज सिंह, एड. एड के द्वारा आज दिनांक 22.9.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3229
... द्वारा आज
22-9-14 को प्राप्त

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0 (एतस्मिन पश्चात् संहिता) विरुद्ध राजस्व निरीक्षक खटखरी, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा म0प्र0 (एतस्मिन पश्चात् सक्षम प्राधिकारी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–07–14 (एतस्मिन पश्चात् आलोच्य आदेश) अंतर्गत प्रकरण कमांक 18ए/2/13–14, समक्ष कार्यालय राजस्व निरीक्षक खटखरी, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 3517–तीन/14 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त खटकरी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 18 अ–2/13–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 29–7–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि सीमांकित भूमि के नजदीक आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 143, 144 लगी हुई है । अनावेदक की भूमि का गलत सीमांकन करके आवेदक की भूमि में लगभग 1.00 एकड़ भूमि अनावेदकगण की होना गलत बताया है। सीमांकन के समय उन्होंने सीमांकन पर आपत्ति की है , परन्तु आवेदक की आपत्ति पर विचार न करके गलत ढंग से राजस्व निरीक्षक वृत्त खटकरी ने सीमांकन आदेश दिनांक 29–7–14 पारित किया है जिसे निरस्त किया जावे। अनावेदकगण के अभिभाषक ने इसका विरोध किया है एंव सीमांकन सही होना बताया है। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकगणों तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्थिति इस प्रकार पाई गई है कि राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 29–7–14 में आवेदक की आपत्ति को इस प्रकार अमान्य किया है :– " आपत्तिकर्तागण व्दारा आपत्ति में लेख किया है कि पटवारी हलका एंव रा.नि. के व्दारा चोरी छिपे तौर पर वगैर सूचना के सीमांकन कर मेरे कब्जे की लगभग 1.00 एकड़ भूमि आवेदक की भूमि में नाप दिये हैं जो गलत है, इसे निरस्त किया जावे। आवेदक व्दारा आपत्ति का जववा	

प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया है कि पटवारी हलका एंव रा. नि. खटकरी व्दारा सरहदी कृषकों को सूचना देकर एंव ग्रामीण जनों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है जो स्वीकार योग्य है। आवेदक के जववा एंव अनावेदक व्दास प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया गया जिसमें अनावेदक व्दारा प्रस्तुत आपत्तिपत्र निराधार होने से अमान्य की जाती है। अनावेदक चाहे तो अपनी भूमि का सीमांकन करा ले ।''

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने आदेश में उल्लेखित किया है यदि विचाराधीन सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है तव वह पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ सहायक अधीक्षक/ अधीक्षक भू अभिलेख से अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्तत्रंत हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 29–7–14 में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है। फलतः निगरानी इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य